समक्ष राजीव नरैन रैना, जे.

न्यू इंडिया एसुअरैंस कंपनी लिमिटेड - याचिकाकर्ता

बनाम

अनीता शर्मा और अन्य - उत्तरदाता

एफ.ऐ.ओ संख्या 458/2014

24 सितम्बर 2014

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम,1932 - धाराएं 8,20 और 31 - मोटर वाहन अधिनियम, 1988– धारा 166– राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 – धारा 5 – किसी दुर्घटना में पीड़ित को लगी चोट या रोजगार के दौरान हुई मृत्यु के कारण दावेदारों के पक्ष में पुरस्कार पारित किया गया।नियोक्ताओं या पीड़ितों के पास संबंधित बीमा कंपनियों के साथ बीमा पॉलिसियां थीं, लेकिन जहां यह स्थापित हो गया कि पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ है, वहां उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। विवादास्पद मुद्दे का उत्तर दिया जाना है - क्या वेतन और वसूली के सिद्धांत को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम तक बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। पहले सिद्धांतों पर - यह बिना किसी संदेह के स्थापित है कि बीमा कंपनियों को बीमा पॉलिसियों के तहत दायित्व से नहीं जोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि बलजीत कौर मामले में निर्धारित सभी पैरामीटर संतुष्ट हैं तो वे पहली बार में दावेदारों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं और फिर उन बीमाधारकों से राशि की वसूली करना चाहते हैं जिनके साथ पीड़ितों को 'भुगतान करो और ठीक करो' सिद्धांत पर नियोजित किया गया था।

माना गया की यह जवाब काफी स्पष्ट रूप से उन मामलों में अपील में बीमा कंपनियों के पक्ष में झुकाव लगता है जहां यह संदेह से परे स्थापित किया गया है कि उन्हें बीमा पॉलिसियों के तहत देयता के साथ काठी नहीं किया जा सकता है, लेकिन पहले स्थान में दावेदारों को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए कर्तव्य बाध्य थे और फिर बीमित व्यक्ति से राशि वसूलने की मांग करते हैं जिसके साथ पीड़ितों को नियोजित किया गया था और या तो घायल हो गए थे या रोजगार के दौरान या उससे उत्पन्न दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन बीमा अनुबंध के नियमों और शर्तों के बीमाधारक द्वारा उल्लंघन पर आयुक्त द्वारा तथ्य के ठोस निष्कर्ष दर्ज किए जाने चाहिए, और क्या मामला अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में आता है, और क्या बीमा कंपनी बीमित नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के

लिए उत्तरदायी है। जब बलजीत कौर मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में सभी पैरामीटर संतुष्ट हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पहले सिद्धांतों पर, 'भुगतान और वसूली' तंत्र को अधिनियम के तहत आयुक्त द्वारा क्यों नहीं अपनाया और लागू किया जाना चाहिए। जब सार्वजनिक धन शामिल हो तो न्यायालय 'भुगतान करो और वसूली करो' सिद्धांत को प्रभावी करने के लिए बाध्य हो सकता है और बीमा कंपनियों द्वारा किए गए पुरस्कार राशि की वसूली के दावों को नहीं छोड़ सकता है और उन्हें सिविल कोर्ट के समक्ष तय की गई एक अलग कार्यवाही में निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ सकता है। इसलिए मैं यह मानने को इच्छुक हूं कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित न्यायसंगत और त्वरित प्रतिक्रिया सिद्धांत को ईसीए मंच द्वारा निर्णय और निर्धारित किए जाने के बाद कर्मचारी मुआवजे के मामलों पर भी लागू किया जाना चाहिए। यदि इस सिद्धांत को मौजूदा मामलों में लागू किया जाता है, तो यह घायलों और कर्मचारियों के कानूनी प्रतिनिधियों को बिना किसी देरी के मुआवजा देने का एक मूल्यवान सामाजिक उद्देश्य भी पूरा करेगा, जो रोजगार के दौरान और उसके दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और उसके बाद उन्हें अपने पास रखते हैं। मुकदमेबाजी की पीड़ा से बचने के लिए बीमाकर्ता और बीमाधारक को पीड़ितों पर कोई प्रभाव डाले बिना निष्पादन कार्यवाही में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए मैदान में छोड़ना होगा।

(पैरा 8)

अश्वनी तलवार, अपीलकर्ताओं के लिए वकील (2014 का एफएओ नंबर 458, 2014 का 1756, 2013 का 5917)।

हर्ष अग्रवाल, अपीलकर्ताओं के लिए वकील (2014 का एफएओ नंबर 704)

आर.एम.सूरी, अपीलकर्ताओं के लिए वकील (2010 का एफएओ नंबर 3014)

अमरीश शर्मा, प्रतिवादियों के वकील (2014 का एफएओ नंबर 458)

आशीष गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के लिए वकील (2013 का एफएओ संख्या 5917)

बी.एस. जसवाल, प्रतिवादी संख्या 2 के वकील और प्रतिवादी संख्या 1 के एलआर (2010 का एफएओ संख्या 3014)

अरुण यादव, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के लिए वकील (2014 का एफएओ संख्या 1756)

निर्णय

राजीव नरैन रैना, जे.

1. यह आदेश 2014 के एफएओ नंबर 458, 2014 के एफएओ नंबर 704, 2014 के एफएओ नंबर 1756, 2010 के एफएओ नंबर 3014 और 2013 के एफएओ नंबर 5917 के पांच प्रथम अपीलों का निपटान करेगा। सहमति से, लीड तथ्यों को उजागर करने का मामला 2014 के एफएओ नंबर 458 का है। ये अपीलें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बजाज आलियांज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई हैं।

2. ये अपीलें संशोधित कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत विभिन्न आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न होती हैं। इनमें से प्रत्येक मामले में, दावेदारों के पक्ष में या तो पीड़ित को किसी दुर्घटना में लगी चोटों के कारण या रोजगार के दौरान और उसके दौरान होने वाली मौतों के कारण पुरस्कार पारित किया गया है। इनमें से प्रत्येक मामले में, नियोक्ता/व्यक्तियों या पीड़ित/व्यक्तियों के पास हालांकि संबंधित बीमा कंपनियों के साथ बीमा पॉलिसी थी, लेकिन जहां यह स्थापित हो गया कि पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ था, वहां उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं दी गई

थी। अपीलों में मुख्य प्रार्थना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजे के पुरस्कारों में अदालत द्वारा विकसित न्यायसंगत कानूनी सिद्धांत को लागू करना है ताकि बीमा के अनुबंध से विचलन के मामले में, एक व्यक्ति उत्तरदायी हो दुर्घटनाओं के कारण होने वाली शारीरिक हानि या मृत्यु के परिणामस्वरूप होने वाली अत्याचारपूर्ण और कार्रवाई योग्य लापरवाही के लिए भुगतान करना, बीमा पॉलिसियों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन या उल्लंघन करने वाले को दोषी ठहराना। ऐसे मामलों में जहां ट्रिब्यूनल पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजा देता है, यह सवाल तुरंत उठता है कि मुआवजे की राशि का भुगतान कौन करता है। जहां बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई बीमा कंपनी पर स्पष्ट देनदारी होती है और प्रीमियम का भुगतान किया जाता है और बीमा की अवधि के दौरान दुर्घटना होती है, तो बीमा कंपनी भुगतान करती है। हालांकि, जब बीमाधारक द्वारा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होता है, बीमा कंपनी के साथ कोई गलती नहीं पाई जा सकती है और इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा **मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बलजीत कौर और अन्य (2004) 2 SCC 1 : AIR 2004 SC 1340,** में दूरगामी परिणामों का एक मूल्यवान कानूनी सिद्धांत विकसित किया गया है, न्यायिक रूप से भुगतान और वसूली के सैल्यूटरी सिद्धांत को कानून बनाया गया है जिसके तहत बीमा कंपनी पहले दावेदारों को दिए गए मुआवजे का भुगतान करती है लेकिन बीमा कंपनी पर बीमा के अनुबंध के उल्लंघन या वहां से किसी भी विचलन के कारण कोई देयता नहीं होने पर बीमाधारक से राशि वसूलने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने वसूली तंत्र का स्वरूप बदल दिया। मुआवज़ा देने का उद्देश्य और उद्देश्य प्रकृति में लाभकारी है ताकि दावेदार मुआवज़ा सुरक्षित कर सकें और लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण पुरस्कार के फल के बिना नहीं छोड़ा जा सके, इसी कारण से उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हितकारी न्यायिक उपकरण प्रतिपादित किया गया अपील, निष्पादन कार्यवाही आदि में दावेदारों की निरंतर पीड़ा को सुधारना के लिए। विकसित किया गया सिद्धांत अब मोटर दुर्घटना दावा मामलों में भुगतान और वसूली के सिद्धांत के रूप में अच्छी तरह से अंतर्निहित है। इस सारांश तरीके से निष्पादन बीमाकर्ता के हाथों ट्रिब्यूनल के समक्ष ही होता है, जो बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं पाया जाता है। बीमाकर्ता को सिविल न्यायालय के समक्ष मुआवजे के रूप में भुगतान की गई धनराशि वसूलने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, जिसमें वर्षों लग सकते हैं। अपीलों के वर्तमान बैच में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 से उत्पन्न मुआवजे के मामले शामिल हैं। वेतन और वसूली की व्यवस्था ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के बाद के कई निर्णयों में आधार प्राप्त किया है और यह न्यायालय एक कानूनी प्रस्ताव और एक कानूनी सिद्धांत बन गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि कर्मचारी मुआवजा

अधिनियम 1923 के तहत कार्यवाही में सिद्धांत अभी तक घोषित नहीं किया गया है। अपीलों के वर्तमान सेट में उत्तर दिया जाने वाला विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या भुगतान और वसूली के सिद्धांत को पहले सिद्धांतों पर वर्तमान अधिनियम तक बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। जिस अधिनियम से हमारा संबंध है उसमें सशक्तीकरण का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है।

3. प्रमुख वकील श्री अश्वनी तलवार का तर्क है कि हालांकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के संदर्भ में 'भुगतान और पुनर्प्राप्ति सिद्धांत' के संबंध में कानून विकसित किया गया है, जहां मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण घायल या मोटर दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु की स्थिति में व्यक्तियों को मुआवजा आदि देने या अस्वीकार करने के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है। उनका कहना है कि मोटर दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावा मामलों में विकसित इस सिद्धांत को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत श्रमिक मुआवजा आयुक्तों द्वारा दिए गए मुआवजे के मामलों पर लागू किया जाना चाहिए और अपीलकर्ता बीमा कंपनी पर धीमे मुकदमों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। बीमाधारक के खिलाफ धन की वसूली के लिए, लेकिन बलजीत कौर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर बीमित व्यक्ति से राशि की वसूली के लिए निर्देश के लिए सीधे आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर करना होगा, जब तथ्य उचित हों और निष्कर्ष न्यायिक रूप से निर्धारित हों। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के कामकाज में दूरगामी परिणाम देने वाले प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर इन अपीलों में कानून का एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ऐसे मामलों में 'भुगतान करो और वसूल करो' का सिद्धांत बिल्कुल भी लागू किया जाना चाहिए।

4. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने दिए गए मुआवजे की राशि का भुगतान करने के बाद, घायलों को दिए गए मुआवजे की वसूली के लिए आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 में अधिकृत करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। आयुक्त ने ऐसा करने और किस अस्वीकृति के विरुद्ध मामले के तथ्यों पर विवाद किए बिना कानूनी मुद्दे पर वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5. उठाया गया प्रश्न न केवल कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बल्कि सामान्य सार्वजनिक महत्व का भी है। उत्तर हेतु निम्नलिखित दो प्रश्न उठते हैं:-

(i) क्या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के संबंध में निष्पादन आवेदन पुरस्कारों की घोषणा के बाद ईसी अधिनियम के तहत आयुक्त द्वारा दायर और तय किए जाने चाहिए?

(ii) क्या कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 8 के प्रावधान के अनुसार बीमा कंपनी के पक्ष में और प्रतिवादी-नियोक्ता के खिलाफ पाई गई राशि की वसूली की सीमा तक आदेशों के निष्पादन के लिए निष्पादन आवेदनों पर विचार करना आयुक्त का काम है?

6. जिस तरीके से आयुक्त को पुरस्कार योग्य मुआवजा वितरित करने की आवश्यकता होती है वह अधिनियम की धारा 8 में निर्धारित है, जो इस प्रकार है: -

"8. मुआवजे का वितरण-[(1) उस [कर्मचारी] के संबंध में मुआवजे का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जिसकी चोट के कारण मृत्यु हो गई है, और [किसी कर्मचारी] या कानूनी विकलांगता के तहत किसी व्यक्ति को मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। आयुक्त के पास जमा राशि के अलावा अन्यथा किया गया, और नियोक्ता द्वारा सीधे किया गया कोई भी भुगतान मुआवजे का भुगतान नहीं माना जाएगा:

[बशर्ते, मृत [कर्मचारी] के मामले में, एक नियोक्ता मुआवजे के कारण किसी भी आश्रित को अग्रिम भुगतान कर सकता है [ऐसे [कर्मचारी] के तीन महीने के वेतन के बराबर राशि, इतनी राशि] जितनी न हो उस आश्रित को देय मुआवजे से अधिक राशि आयुक्त द्वारा ऐसे मुआवजे से काट ली जाएगी और नियोक्ता को वापस कर दी जाएगी।]

(2) दस रुपये से कम की कोई अन्य राशि जो मुआवजे के रूप में देय है, उसके हकदार व्यक्ति की ओर से आयुक्त के पास जमा की जा सकती है।

(3) आयुक्त की रसीद उसके पास जमा किए गए किसी भी मुआवजे के संबंध में पर्याप्त मुक्ति होगी।]

(4) उप-धारा (1) के तहत किसी भी धन के जमा होने पर, [मृतक [कर्मचारी] के संबंध में मुआवजे के रूप में] आयुक्त [***], यदि वह आवश्यक समझे, नोटिस प्रकाशित कराएगा या प्रत्येक आश्रित को इस तरह से तामील किया जाए जैसा वह उचित समझे, आश्रितों को मुआवजे के वितरण का निर्धारण करने के लिए ऐसी तारीख पर उसके सामने उपस्थित होने के लिए कहा जाए। यदि आयुक्त किसी भी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट हो जाता है कि कोई आश्रित मौजूद नहीं है, तो वह शेष राशि उस नियोक्ता को चुका देगा जिसके द्वारा भुगतान किया गया था। नियोक्ता के आवेदन पर आयुक्त, किए गए सभी संवितरणों को विस्तार से दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

5) मृतक [कर्मचारी] के संबंध में जमा किया गया मुआवजा, उप-धारा (4) के तहत की गई किसी भी कटौती के अधीन, मृतक [कर्मचारी] के आश्रितों या उनमें से किसी के बीच ऐसे अनुपात में विभाजित किया जाएगा जैसा आयुक्त उचित समझे, या आयुक्त के विवेक पर, किसी एक आश्रित को आवंटित किया जा सकता है।
(6) जहां आयुक्त के पास जमा किया गया कोई भी मुआवजा किसी भी व्यक्ति को देय है, कमिश्नर करेंगे, यदि जिस व्यक्ति को मुआवजा देय है, वह कानूनी विकलांगता के तहत महिला या व्यक्ति नहीं है, और हो सकता है, अन्य मामलों में, इसके लिए पात्र व्यक्ति को पैसे का भुगतान करें।
(7) जहां आयुक्त के पास जमा की गई कोई भी एकमुश्त राशि कानूनी विकलांगता के तहत किसी महिला या व्यक्ति को देय है, ऐसी राशि को महिला के लाभ के लिए निवेश किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है या अन्यथा उसकी विकलांगता के दौरान ऐसे व्यक्ति का निपटान किया जा सकता है। ऐसे तरीके से जैसा आयुक्त निर्देशित करे; और जहां कानूनी विकलांगता के तहत किसी भी व्यक्ति को आधा मासिक भुगतान देय है, आयुक्त अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या इस संबंध में उसे दिए गए आवेदन पर आदेश दे सकता है कि विकलांगता के दौरान कर्मचारी के किसी भी आश्रित को भुगतान किया जाए।] या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे आयुक्त [कर्मचारी] के कल्याण के लिए सबसे उपयुक्त समझता है।
(8)]जहां इस संबंध में या अन्यथा कोई आवेदन किया जाता है, तो आयुक्त इस बात से संतुष्ट होता है कि, माता-पिता की ओर से बच्चों की उपेक्षा के कारण या किसी आश्रित की परिस्थितियों में भिन्नता के कारण या किसी के लिए अन्य पर्याप्त कारण, मुआवजे के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि के वितरण के बारे में आयुक्त का एक आदेश, जिस तरह से किसी भी ऐसे आश्रित को देय राशि का निवेश, लागू या अन्यथा निपटान किया जाना है, उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, आयुक्त पिछले आदेश में बदलाव के लिए ऐसे आदेश दे सकता है जैसा वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझता है:
बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कोई आदेश पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं होगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर नहीं दिया गया है कि आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए या किसी भी मामले में नहीं किया जाएगा जिसमें यह पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि के आश्रित द्वारा पुनर्भुगतान शामिल होगा।
[(9) जहां आयुक्त उप-धारा (8) के तहत किसी भी आदेश को इस तथ्य के कारण बदलता है कि किसी व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान धोखाधड़ी, प्रतिरूपण या अन्य अनुचित तरीकों से प्राप्त किया गया है, किसी भी राशि का भुगतान या उसकी ओर से किया गया है ऐसे व्यक्ति को इसके बाद धारा 31 में दिए गए तरीके से बरामद किया जा सकता है”

7. धारा 20 आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 20 की उपधारा 4 में कहा गया है कि प्रत्येक आयुक्त को भारतीय दंड संहिता के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा। धारा 31 वसूली से संबंधित है और यह निर्धारित करती है कि आयुक्त भूमि राजस्व के एरियर के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए समझौते के तहत या अन्यथा अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि की वसूली कर सकता है और आयुक्त राजस्व वसूली अधिनियम 1890 की धारा 5 के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक अधिकारी माना जाएगा। इस प्रकार, आयुक्त एक लोक सेवक और एक सार्वजनिक अधिकारी दोनों है, पहले दंडात्मक कानून के तहत और दूसरी क्षमता में, राज्य सरकार के एक सिविल सेवक के रूप में। यदि आयुक्त को उसके द्वारा दी गई अवैतनिक या आंशिक रूप से अवैतनिक राशि की वसूली करने का अधिकार है, तो यह निष्पादन न्यायालय के रूप में अच्छी तरह से कार्य कर सकता है और इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है। यह माना जाता है कि निष्पादन आवेदन अधिनियम के तहत आयुक्त के समक्ष होते हैं और उनके द्वारा तय किए जाने वाले नामित फोरम में दायर किए जाने होते हैं।

8. दूसरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से उन मामलों में अपील में बीमा कंपनियों के पक्ष में झुकता हुआ प्रतीत होता है, जहां यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो जाता है कि उन पर बीमा पॉलिसियों के तहत दायित्व नहीं डाला जा सकता है, लेकिन वे मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। पहले उदाहरण में दावेदार और फिर उस बीमाधारक से राशि की वसूली करना चाहते हैं जिसके साथ पीड़ित कार्यरत थे और रोजगार के दौरान या उससे उत्पन्न दुर्घटना में या तो घायल हो गए थे या मर गए थे।लेकिन बीमा अनुबंध के नियमों और शर्तों के बीमाधारक द्वारा उल्लंघन पर आयुक्त द्वारा तथ्य के ठोस निष्कर्ष दर्ज किए जाने चाहिए, और क्या मामला अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में आता है, और क्या बीमा कंपनी बीमित नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है। जब बलजीत कौर मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में सभी पैरामीटर संतुष्ट हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पहले सिद्धांतों पर, 'भुगतान और वसूली' तंत्र को अधिनियम के तहत आयुक्त द्वारा क्यों नहीं अपनाया और लागू किया जाना चाहिए। जब सार्वजनिक धन शामिल हो तो न्यायालय 'भुगतान करो और वसूली करो' सिद्धांत को प्रभावी करने के लिए बाध्य हो सकता है और बीमा कंपनियों द्वारा किए गए पुरस्कार राशि की वसूली के दावों को नहीं छोड़ सकता है और उन्हें सिविल कोर्ट के समक्ष तय की गई एक अलग कार्यवाही में निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ सकता है। इसलिए मैं यह मानने को इच्छुक हूं कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित न्यायसंगत और त्वरित प्रतिक्रिया सिद्धांत को ईसीए मंच द्वारा निर्णय और

निर्धारित किए जाने के बाद कर्मचारी मुआवजे के मामलों पर भी लागू किया जाना चाहिए। यदि इस सिद्धांत को मौजूदा मामलों में लागू किया जाता है, तो यह घायलों और कर्मचारियों के कानूनी प्रतिनिधियों को बिना किसी देरी के मुआवजा देने का एक मूल्यवान सामाजिक उद्देश्य भी पूरा करेगा, जो रोजगार के दौरान और उसके दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और उसके बाद उन्हें अपने पास रखते हैं। मुकदमेबाजी की पीड़ा से बचने के लिए बीमाकर्ता और बीमाधारक को पीड़ितों पर कोई प्रभाव डाले बिना निष्पादन कार्यवाही में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए मैदान में छोड़ना होगा।

9. नतीजतन, अपीलें स्वीकार कर ली जाती हैं और प्रतिवादी-नियोक्ता/नियोक्ताओं से दी गई राशि की वसूली के लिए आवेदन/आवेदनों को अस्वीकार करने वाले आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और आयुक्तों के समक्ष योग्यता के आधार पर आगे के निर्णय के लिए कार्यवाही को उनकी मूल संख्या में बहाल कर दिया जाता है। इस आदेश का, जो आदेश यथोचित परिवर्तनों सहित संबंधित अपीलों पर लागू होगा।

अस्वीकरण:
स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फ़िरोज़ेपुर झिरका, नुह